राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप –2) विभाग

क्रमांक : प0 27 (09) चिस्वा/02/2017 जयपुर, दिनांक 15.03.2017

M/s Roche Diagnostics India Pvt. Ltd., 501-B, 5th Floor, Silver Utopia, Cardinal Gracious Road, Chakala, Andheri East Mumbai

अपीलार्थी

बनाम

प्रबन्ध निदेशक ,राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील संख्या 09/2017
अपील अन्तर्गत धारा 38 (1),
राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

17-03-17
ED (EPM)
4273

<u>निर्णय दिनांक 15.03.2017</u>

1. प्रस्तुत अपील पर, सुनवाई दिनांक 06.03.2017 को की गई। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट फर्म M/s Roche Diagnostics India Pvt. Ltd., Andheri East Mumbai की ओर से अधिवक्ता मधुसुदन सिंह राजपुरोहित एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक(ई.पी.एम.),वरिष्ठ प्रबंधक–I (ई.पी.एम.),वरिष्ठ प्रबंधक–II(ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इन्जीनियर (पी) आदि उपस्थित हुये।

2. यह अपील आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा उपकरण NUCLEIC ACID TESTING SYSTEM (RENTAL BASIS) at SMS Hospital Blood bank Jaipur के निविदा सूचना संख्या 209 दिनांक 16.12.2016 के संबंध में है। सुनवाई के दौरान अपीलान्ट फर्म द्वारा अपील के तथ्य दोहराये गये। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरर्पोशन, जयपुर द्वारा बिन्दुवार तथ्यों का जवाब प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में तकनीकी समिति के जो सदस्य उपस्थित थे, उनसे भी तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता का दायित्व है कि वे RTPP अधिनियम के अनुसार अपील के तथ्यों को देखते हुए उचित निर्णय करें। सुनवाई के उपरान्त यह पाया गया कि अपीलान्ट फर्म द्वारा उठाये गये तथ्य तकनीकी रूप से मान्य नहीं है तथा उनके द्वारा निगम पर "टेलरमेड स्पेसिफकेशन" का जो अर्थ लगाया गया उसको स्पष्ट करने में पूरी तरह विफल रहे है। अतः अपील में कोई सारहीन नहीं होने के कारण अपास्त की जाती है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

790
21/3/17

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं शासन सचिव

SM II M-I,